राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/48471–481 दिनांक 11.6.2018

कार्यालय आदेश

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक सामान्य/2018–19/309–10 दिनांक 25.05.2018 द्वारा अवगत कराया गया हैं, कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) प्रथम चरण में नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ की डी.पी.आर. में वर्ष 2017–18 हेतु कुल 4 कार्य स्वीकृत किये गये थे। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त 4 RTWHS कार्यो में से 3 कार्य (अनुमानित लागत राशि रू. 29.30 लाख) चिकित्सालय भवन में बनाये जाने प्रस्तावित थे। इन 3 कार्यों की कार्यकारी एजेंसी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एनआरएचएम) विभाग है। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यकारी एजेंसी के पत्रांक मेडिकल एण्ड हेल्थ चित्तौड़गढ़/2017–18 दिनांक 19.01.2018 के अनुसार चिकित्सालय भवन व परिसर में भारी मात्रा में बैक्टीरिया पाये जाते है और चिकित्सालय भवन के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सिस्टम से संचित किया जाता है तो पानी भू–जल के साथ मिलकर अधिक बैक्टीरिया पैदा करेंगे, जिससे उस पानी का उपयोग करना संभव नहीं हो सकेगा एवं स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमारी फैलने का खतरा ओर बढ़ जायेगा। अतः जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ की अभिशंसा के क्रम में नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ हेतु प्रथम चरण (वर्ष 2017–18) में स्वीकृत 4 कार्यो में से 3 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नानुसार प्रत्याहरित (with draw) की जाती है।

S. N.	Name of work	Amount (Rs. in lac)
1	श्री सॉवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का कार्य।	19.17
2	महिला एवं बाल चिकित्सालय में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का कार्य।	8.26
3	टी.ई.टी.सी. अस्पताल में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का कार्य।	1.87

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए –II/18/48471–481 दिनांक 11.6.2018

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन व नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण राजस्थान।
5. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
6. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्र क्रमांक सामान्य/2018–19/309–10 दिनांक 25.05.2018 के क्रम में।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
8. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, उदयपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़।
10. अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़।
11. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ, निदेशालय।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता